



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्ड आफिस: ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008 दुरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फेक्स : (0761) 2664450, e-mail: ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/IV/ 1412


दिनांक 23 APR 2021

आदेश

कंपनी के कार्यरत संविदा कार्मिकों हेतु कोविड-19 की विषम एवं गंभीर परिस्थितियों में चिकित्सा उपचार की तत्काल सुविधा मुहैया कराये जाने के दृष्टिगत "कोविड-19-संविदा पारिश्रमिक अग्रिम योजना" जारी की जाती है। उक्त योजना के तहत प्रावधान एवं शर्त निम्नानुसार रहेंगी :-

- पारिश्रमिक अग्रिम संबंधी या सहायता कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिकों को एवं उनके आश्रित परिवार को प्रदाय की जायेगी।
- कोविड-19 संविदा पारिश्रमिक अग्रिम योजना के तहत संविदा कार्मिक एवं उनके आश्रित परिवार सदस्यों को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, चिकित्सक की उपचार पर्ची एवं अस्पताल में भर्ती होने की सलाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 02 माह का पारिश्रमिक (अधिकतम रूपये 70,000/-) अग्रिम की रूप में प्रदाय किया जा सकेगा। यदि कार्मिक कोविड वाई या अस्पताल में भर्ती है एवं हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो अस्पताल द्वारा जारी पर्ची को संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जा सकेगा
- उपरोक्त पारिश्रमिक से तात्पर्य है कि संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) संशोधित नियम 2018 के अनुसार प्रदाय किया जा रहा पारिश्रमिक।
- पारिश्रमिक अग्रिम स्वीकृति का अधिकार संविदा कार्मिक के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को होगा।
- आहरित पारिश्रमिक अग्रिम की वसूली संबंधित संविदा कार्मिक वेतन से समान 06 किश्तों में की जावेगी। कार्मिक की संविदा अनुबंध अवधि 06 माह से कम होने की स्थिति में अग्रिम राशि की वसूली तदानुसार शेष संविदा अवधि के पारिश्रमिक से समान किश्तों में की जायेगी।
- कोविड-19 संविदा पारिश्रमिक अग्रिम योजना लागू होने की स्थिति से आगामी 03 माह के लिये प्रभावशील होगी। 03 माह पश्चात कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए योजना अवधि को बढ़ाने के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा।

यह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।



आदेशानुसार

[Signature]
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

क्रमशः...2..

[Handwritten signature]

दिनांक 23 APR 2021

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/IV/ 1413

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
- 2- कार्यपालक निदेशक (सी.आर.ए.)/(मा.संसा.एवं वि.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।
- 3- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
- 4- मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
- 5- मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र. पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
- 6- मुख्य अभियंता(प्रोक्टयोरमेंट)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(योजना एवं रूपांकन)/(अउदा-निर्माण) (परीक्षण एवं संचार)/(अउदा-संथा.एवं निरी.)/(आई.टी-ई.आर.पी.)/(कार्य),म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।
- 7- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
- 9- रिपोर्टर ऑफ कम्पलायंस, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।
- 10- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांस-पूर्व क्षेत्र)/(ट्रांस-मध्य क्षेत्र)/(ट्रांस-पश्चिम क्षेत्र)/(सिविल-ट्रांस)/(सतर्कता), म.प्र.पां.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
- 11- अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(400 के.व्ही. उपकेन्द्र)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संथा.), वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 12- कार्यपालन अभियंता ----- संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,-----।
- 13- वेब मास्टर, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।
- 14- निज सचिव सम्बद्ध, प्रबंध संचालक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।
- 15- निज सचिव सम्बद्ध, संचालक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।
- 16- क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर/भोपाल/इंदौर।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता

कार्या.-मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)